भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1593
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018

1593. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में लागू राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने लोगों, छात्रों और व्यापारियों को सार्वभौमिक और किफायती ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और एक जीवंत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है;
(घ) नई कंपनियों सहित सभी ऑपरेटरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ड.) दूरदराज के और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और
(च) स्पेक्ट्रम उपलब्धता और मूल्य निर्धारण आवंटन के संबंध में दूरसंचार ऑपरेटरों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक पारदर्शी और कुशल स्पेक्ट्रम प्रबंधन संरचना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को सर्वव्यापी, सुदृढ़, सुरक्षित, सुलभ और वहनीय डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना द्वारा नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2018 में शुरू

किया गया था। इससे दूरसंचार अवसंरचना में सुधार हुआ है और देश भर में दूरसंचार सेवाओं की कवरेज और वहनीयता में वृद्धि हुई है। विगत छह वर्षों में, अवसंरचना ब्रॉडबैंड की वहनीयता, कवरेज आदि के संबंध में निम्नलिखित सुधार हुए हैं जिससे डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है और एक जीवंत डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है।

- ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क मार्च 2018 के 17.5 लाख किलोमीटर से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 41.9 लाख किलोमीटर हो गया।
- बेस ट्रांसीवर स्टेशन अक्टूबर, 2018 के 19.8 लाख से बढ़कर अक्टूबर, 2024 में 29.4 लाख हो गए।
- सितंबर 2024 तक, देश के 6,44,131 गांवों (भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार गांव के आंकड़े) में से, 6,22,840 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किए गए हैं।
- ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या सितंबर, 2018 के 48 करोड़ से बढ़कर जून, 2024 में 94 करोड़ हो गई है।
- डेटा का उपयोग सितंबर, 2018 के 8.32 जीबी प्रति माह से बढ़कर जून, 2024 में 21.30 जीबी प्रति माह हो गया है।
- प्रति जीबी वायरलेस डेटा के लिए औसत टैरिफ सितंबर, 2018 के ₹10.91 से कम होकर जून, 2024 में ₹8.31 हो गया है।

इसके अलावा, सरकार सेवा से वंचित सभी गांवों को दूरसंचार कवरेज प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षत्रों में सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 3.8 लाख गांवों को मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के दायरे का विस्तार करने हेतु 1,39,579 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया है।

(घ) दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1997 में स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण अर्थात् भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की। उपर्युक्त लक्ष्यों के अनुसरण में ट्राई ने इसके समक्ष आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए समय-समय पर सिफारिशें, विनियम, आदेश और निदेश जारी किए हैं और बहुप्रचालक, बहु-सेवा, मुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित निदेश जारी किए हैं।

(ङ) दूरसंचार विभाग के सेटेलाइट संचार सुधार-2022 ने विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और लाइसेंसधारकों पर वित्तीय प्रभारों को कम किया है। हाल ही के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों ने गैर-सरकारी संस्थाओं को सेटेलाइट आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सेटेलाइट प्रणालियों के निर्माण/पट्टे, स्वामित्व और प्रचालन में बड़े स्तर पर भागीदारी करने में सक्षम बनाया है। कई ऑपरेटरों ने दूरस्थ और अल्प-सेवित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सहित भारत में सेटेलाइट संचार प्रदान करने के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन किया है। कुल 5474 ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट के माध्यम से जोड़ा गया है।

(च) दूरसंचार प्रचालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पारदर्शी और कुशल स्पेक्ट्रम प्रबंधन अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं-

- दिनांक 15.09.2021 के बाद नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के बाद वापस किया जा सकता है।
- दिनांक 15.09.2021 के बाद नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) नहीं लगाया जाएगा।
- न्यूनतम 3% भारित औसत एसयूसी और एसयूसी न्यूनतम राशि के लिए शर्त हटा दी गई है।
- स्पेक्ट्रम शेयरिंग को बढ़ावा देने और उसके बेहतर उपयोग और कार्यकुशलता के लिए अब स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर एसयूसी दर में 0.5% की वृद्धि नहीं की जाएगी।
- देश में आईएमटी सेवाओं (5जी) के लिए इस बैंड को चिन्हित करने के लिए इनकम्बेंट प्रयोक्ताओं से 3.3-3.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम रिफ़ार्मिंग किया गया था।
- सेटेलाइट आधारित सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं और एप्लीकेशनों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित स्पेक्ट्रम असाइनमेंट पद्धति को दूरसंचार अधिनियम, 2023 में शामिल किया गया है।

*****